5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

R 33 - II /2005

प्र0क्र0 /2005 निगरानी-

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अधि. द्वारा आज दि0 7/1/05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

7 JAN 2005

गोकुल पुत्र अच्छेलाल नि0 ग्राम सुनवारी
तह0 पवई जिला पन्ना म0प्र0
--- आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन -- अनावेदक

निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.04.2004 पारित आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 75ए 19 x (4) 03-04 के ।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है ।

2- यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को लिखित बिना सूचना दिये व समुचित अवसर सुनवाई का दिये आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है ।

3- यह कि, आवेदक का कब्जा व दखल 02.10.1985 से पूर्व अपनी बुजुर्गवार के जमाने से रहा था । ग्राम पंचायत व पटवारी से लिखित प्रतिवेदन लेने के बाद समस्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुये आवेदक के हक में आदेश दिनांक 16.05.2002 पारित किया जो सही है । इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर बिना विचार स्वप्रेरणा में लेकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है ।

4- यह कि, अन्य तर्क मौखिक रूप से रिकार्ड देखकर निवेदन किये जावेंगे ।

अतएव प्रार्थना है कि विद्वान आयुक्त एवं अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जावे । आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे ।

प्रार्थी,

गोकुल पुत्र अच्छेलाल

द्वारा अधि.

प्रदीप श्रीवास्तव, एडवोकेट
डी-25, हरिशंकरपुरी, ... मंदिर के पास,
ग्वालियर-474002 फोन ...

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 33–दो/2005 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.12.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 75/अ–19/(4)/03–04 में पारित आदेश दिनांक 13–4–04 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को नायब तहसीलदार, पन्ना द्वारा आदेश दिनांक 16–5–02 द्वारा शासकीय आ0नं0 1590 रकबा 1.60 हैक्टर भूमि का व्यवस्थापन किया गया था । इस व्यवस्थापन आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा अवैधानिक मानते हुए निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में यह निगरानी पेश की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक है । विचारण न्यायालय ने प्रकियाओं का पालन करते हुए व्यवस्थापन आदेश आवेदक के पक्ष में दिया गया था । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अवैध बनाते हुए निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं	

R-133-I/2005 (पन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण भूमि व्यवस्थापन का है । विद्वान आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक को प्रदाय की गई भूमि गोठान, छोटा घास, रास्ता जंगल आदि शासकीय अभिलेखों में दर्ज है जिसका प्रदाय अधिनियम, 1984 के तहत नहीं किया जा सकता है । परंतु तहसील न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुए आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन किया गया है अतः इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में किये गये व्यवस्थापन को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आयुक्त का आदेश उचित एवं न्यायिक है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	